राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक:एफ 27(5)ग्राविवि/इंआ/जिला/अनु–5/2013–14 जयपुर, दिनांक 17 जून, 2013

–परिपत्र–

आवास की महत्ता को स्वीकार करते हुए तथा राज्य में ग्रामीण बी.पी.एल. आवासों की लम्बित मांग को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विधान सभा के बजट सत्र 2011–12 में राज्य के ग्रामीण क्षेत्र हेतु इन्दिरा आवास योजना की तर्ज पर **"मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना"** लागू करने की घोषणा के क्रम में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा राजस्थान में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों को 3 वर्षों में 10 लाख आवास निर्माण हेतु अनुदान मुहैया कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

वर्ष 2011–12 से प्रारम्भ करते हुए माह मार्च, 2013 तक मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना, इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत कुल 7.17 लाख आवासों की स्वीकृति जारी की गई है एवं 1.84 लाख आवास लाभार्थियों द्वारा पूर्ण कर लिये गये हैं, जबकि ऐसे लाभार्थियों की संख्या 4.73 लाख है, जिनके द्वारा लिंटल लेवल तक आवास का निर्माण पूर्ण करने के पश्चात द्वितीय किश्त प्राप्त की जा चुकी है/प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2013–14 में मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना सहित समस्त ग्रामीण आवास योजनाओं के अन्तर्गत 3.54 लाख आवास निर्माण हेतु अनुदान सहायता की स्वीकृतियां जारी की जायेंगी।

लाभार्थियों को आवास सहायता अनुदान राशि की वर्ष 2011–12 व 2012–13 की बकाया किश्तों एवं वर्ष 2013–14 अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति जारी कर प्रथम किश्त की राशि समय पर उनके खाते में हस्तांतरित किया जाना योजनान्तर्गत लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु अति–आवश्यक है।

ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत विगत वर्ष 2011–12 व 2012–13 में लाभार्थियों को बकाया दूसरी व तीसरी किश्त जारी करने व वर्ष 2013–14 हेतु प्रथम किश्त जारी करने के क्रम में लाभार्थियों से आवेदन निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त करने एवं बकाया किश्तें/वित्तीय स्वीकृति जारी कर प्रथम किश्त स्वीकृत करने एवं लाभार्थियों के खाते में राशि हस्तांतरित करने की सम्पूर्ण कार्यवाही आवास सॉफ्ट के माध्यम से किये जाने हेतु एक विशेष अभियान समस्त राज्य में दिनांक 17 जून, 2013 से 20 जुलाई, 2013 तक आयोजित किया जा रहा है। विशेष अभियान में आवास सहायता की अनुदान राशि जारी करने के साथ–साथ स्वच्छ शौचालय निर्माण हेतु निर्मल भारत अभियान एवं महात्मा गांधी नरेगा योजना से देय अनुदान सहायता की किश्तें भी जारी की जायेंगी, ताकि लाभार्थी स्वयं के आवास निर्माण के साथ–साथ स्वच्छ शौचालय का निर्माण भी पूर्ण करा सके।

विशेष अभियान(17 जून से 20 जुलाई, 2013 तक) में ग्रामीण आवास योजनाओं की कार्य योजना, अभियान के सफलतापूर्वक संचालन हेतु विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के

कर्तव्य एवं दायित्वों, वर्ष 2011–12 व 2012–13 में जिलेवार, योजनावार जारी की गई ऑनलाइन स्वीकृतियों, वर्ष 2013–14 में जिलेवार एवं योजनावार लक्ष्यों की सारणी व आवास योजना का आवेदन पत्र प्रपत्र–1, द्वितीय एवं तृतीय किश्त प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रपत्र क्रमशः 3 व 5 सुलभ संदर्भ हेतु पुस्तिका रूप में संकलित किये गये हैं।

अतः सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना, इन्दिरा आवास योजना 3 वर्ष में 10 लाख आवास विशेष अभियान (17 जून से 20 जुलाई, 2013 तक) पुस्तिका में उल्लेखित कर्तव्यों एवं दायित्वों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण त्वरित गति से संपादित कराने की व्यवस्था करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के आवासहीन बीपीएल परिवारों को आवासीय सुविधा मुहैया कराने के सरकार के प्रयासों में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(सी.एस.राजन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
ग्रा.वि.एवं पं. राज विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, ग्रा.वि.एवं पंचायती राज विभाग, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री, ग्रा.वि.एवं पंचायती राज विभाग, राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि.एवं पंचायती राज विभाग, राज., जयपुर।
6. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज., जयपुर।
7. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राज., जयपुर।
8. क्षेत्रीय प्रमुख, हडको, जयपुर।
9. समस्त जिला प्रमुख, जिला परिषद, राजस्थान।
10. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
11. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग, राज., जयपुर।
12. समस्त जिला प्रभारी, मुख्यालय, ग्रामीण विकास विभाग, राज., जयपुर।
13. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
14. समस्त अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
15. अधिशाषी अभियंता(आवास)/परियोजना अधिकारी (अभि.) ग्रामीण विकास विभाग, राज., जयपुर।

(हितबल्लभ शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)